# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

**अपील संख्या आर टी ए/346/2018**

**उनवान**

1. महादेव आत्मज पन्ना लाल जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. जमना पुत्र हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. हरनाथ आत्मज हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. भॅवर लाल आत्मज हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. रामजस आत्मज उगमा जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. हरजी पुत्र उगमा जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. शिवराज पुत्र उगमा जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. नरसिंह लाल पुत्र गंगाराम मीणा निवासी कांवाखेडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
8. छगन लाल पुत्र रामा भील निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 2438/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री रामदयाल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री राजेश मेहता अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1 से 6
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

# निर्णय

दिनांक 17.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी संख्या 1 से 6/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गजसिंहपुंरा पटवार हल्का सुल्तानपुरा तहसील हुरडा में आराजी संख्या 237 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन चाह स्थित है जो मौजूदा रेवेन्यू रिकार्ड में वादी नम्बर 1 से 3 व वादी संचा 4 से 6 के पिता उगमा जाट के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है व बकाया हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 से 4 का है। वादग्रस्त चाह से प्रतिवादी संख्या 1 का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है फिर भी वह उक्त चाह के सामने जो फिराव वाली जगह है उस पर जबरन कब्जा कर अपना आधिपत्य करने पर व वादीगण द्वारा उक्त चाह से जो पानी का धोरा निकलता है जिससे वो अपनी आराजियात की सिंचाई करते हैं उसको अवरूद्ध करने कराने पर आमादा है तथा वादीगण को उक्त चाह से पानी निकालने में अवरोध उत्पन्न करते हैं जिसका की कानूनन उसको कोई अधिकार नहीं है और यह रवैया उसने दिनांक 20.9.2017 से जारी कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त कृत्य अवैध व नाजायज होने से इसके रूके रहने बाबत उसको बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना वादीगण को अपने हक उपयोग के चाह से वंचित रहकर ऐसी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। उक्त चाह के खातेदार उगमा जाट के फौत होने से उसके वारिस नम्बर 4 से 6 को व हरदेव के लाऔलाद फौत होने तथा उसके भाई रामा जाट के भी फौत होने से रामा के पुत्र छगन लाल जाट को पक्षकार बनाया गया और वह उक्त चाह का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सहखातेदार भी है। अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह स्वयं या अन्य द्वारा चाह नम्बर 237 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन चाह के सामने फिराव वाली जगह है उस पर जबरन कब्जा कर अपना आधिपत्य करने कराने व वादीगण द्वारा उक्त चाह से जो पानी का धोरा निकलता है उसको अवरूद्ध करने कराने तथा उक्त चाह से पानी निकालने में अवरोध उत्पन्न करने कराने से रूके रहे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण पारित अपीलाधीन निर्णय में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी सं0 1 ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि दिनांक 04.06.2018 को वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 एवं प्रतिवादी/अपीलाण्ट वक्त बहस कैम्प में उपस्थित थे। मुझ अपीलान्ट को खातेदार नरसिंह लाल ने उसकी जमीन खेती करने के लिए सिजारे पर दी जिससे कुए में भी अपीलाण्ट का हक है। इसके लिए नरसिंहलाल ने मुझे जनरल पावर दिया। मुझे साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया। वादग्रस्त आता चाह नम्बर 237 रकबा 0.02 बिस्वा में उगमा,जमना,हरनाथ,भंवरलाल पिता हरदेव 1/2 जाट का हिस्सा, नरसिंह लाल पिता गंगाराम मीणा नि0 कावाखेड़ा भीलवाड़ा का 1/8 हिस्सा, सुंदर बेवा बेणा भील 1/8 हिस्सा, हरदेव, रामा पिता मंगला 1/8

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हि0ब0, शंभू पिता रूपा भील सा0 हरिपुरा का 1/8हिस्सा संयुक्त दर्ज है। मैं अपीलाण्ट खातेदार नरसिंहलाल की भूमि पर पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर की हैंसियत से जा रहा हूं फिर भी मुझे कुए पर जाने से पाबन्द किया है जो विधि विरूद्ध है। मैं जाति से जाट हूं तथा खातेदार नरसिंहलाल जाति से मीणा है जिसकी जमीन खरीद नहीं सकता हूं । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे।

बहस में वकील प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 ने निवेदन किया कि महादेव खातेदार/सहखातेदार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा हम सह खातेदारान को उक्त चाह के उपयोग उपभोग से पाबन्द नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा सुनकर विधिवत विस्तृत निर्णयदिया जो उचित है। अपील खारिज फरमाई जावे।

5. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रत्यर्थी संख्या 1 से लगायत 6 के द्वारा वादग्रस्त आराजी नं0 237 गेमु0 चाह के सामने फिराव वाली जगह पर जबरन कब्जा एवं चाह से सिंचाई हेतु बनाए धोरे को अवरूद्ध करने व चाह से पानी निकालने में बाधा उत्पन्न न करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बड़ला पर दिनांक 04.06.2018 को प्रस्तुत किया। दिनांक 04.06.2018 की आदेशिका में स्वयं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से लगायत 6 की उपस्थिति के हस्ताक्षर है। दोनो पक्षों को सुनकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिवत सुनवाई के पश्चात विस्तृत निर्णय पारित किया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 08.01.2018 को प्रतिवादी नरसिंहलाल एवं दिनांक 26.02.2018 को अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रामदयाल जाट के द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु अण्डर टेकिंग ली गई इससे यही माना जाता है कि पक्षकारान को वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 से लगायत 6 की ओर से प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में जानकारी है। परन्तु अपीलार्थी का यह कथन है कि उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया जो गलत है क्योंकि स्वयं अपीलार्थी ने एवं अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता के द्वारा वाद का लिखित या मौखिक खण्डन प्रस्तुत नहीं किया । यहां तक कि राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बड़ला पर भी अपीलार्थी ने उपस्थित होने के बावजूद भी किसी प्रकार के लिखित जवाब या दस्तावेज के रूप में खण्डन नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 मौजा गजसिंहपुरा पटवार हल्का सुल्तानपुरा तहसील हुरड़ा की आ0नं0 237 रकबा 02 बिस्वा गे.मू. चाह नरसिंह लाल पिता गंगाराम मीणा निवासी कावाखेड़ा भीलवाड़ा, सुन्दर बेवा बेणा भील, हरदेव, रामा पिता मंगला, शंभू पिता रूपा भील साकिन हरिपुरा उगमा, जमना, हरनाथ, भंवरलाल पिता हरदेव जाट साकिन देह खातेदार तथा विरासत से सुन्दर बेवा बेणा के बजाय रूकमणी, सिणगारी, बरजी पुत्री बेणा का नाम दर्ज रिकॉर्ड तथा बेचान से रूकमणी, सिणगारी, बरजी के बजाय छगनलाल पिता रामा भील का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अर्थात वादग्रस्त आ0नं0 237 में अपीलार्थी का कोई हक हिस्सा दर्ज नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा प्रतिवादी/प्रत्यर्थी सं0 7 की खाते की भूमि सिजारे पर लिए जाने के सम्बन्ध में पावर ऑफ अटोर्नी की हैंसियत से काबिज होना अंकित किया परन्तु उक्त कथन की ताईद में अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा सिजारानामा/पावर ऑफ अटोर्नी प्रस्तुत नहीं की है एवं न ही प्रत्यर्थी सं0 7 श्री नरसिंहलाल के खाते की कौनसी जमीन सिजारे ली व कब से ली नरसिंहलाल के खाते की जमाबन्दी ही प्रस्तुत की है। यहां तक कि स्वयं नरसिंहलाल अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सं0 2 एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी सं0 7 अंकित है उसके द्वारा भी उक्त वाद एवं अपील का बावजूद सूचना के उपस्थित होकर मौखिक या लिखित में खण्डन नहीं किया है इससे सिद्ध नहीं हो सका है कि अपीलार्थी को नरसिंहलाल के द्वारा अपनी कोई भूमि सिजारे पर दी हो। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुन कर विस्तृत निर्णय पारित किया है। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अध्याधीन पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2018 में अपीलान्ट/प्रतिवादी नं0 1 विवादित आराजीयात ख0नं0. 237 रकबा 2 बिस्वा गे0मू0 चाह के खातेदार/सहखातेदार नहीं है, अतः रिकॉर्डेड सह खातेदारान अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः मेरा विनम्र अभिमत है कि अपीलाण्ट/प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2018 विधिसम्मत है, तथा हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

7. अतः अपील अपीलार्थी खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2018 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

8. निर्णय आज दिनांक 17.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

**अपील संख्या आर टी ए/346/2018**

उनवान

1. महादेव आत्मज पन्ना लाल जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. जमना पुत्र हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. हरनाथ आत्मज हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. भॅवर लाल आत्मज हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. रामजस आत्मज उगमा जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. हरजी पुत्र उगमा जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. शिवराज पुत्र उगमा जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. नरसिंह लाल पुत्र गंगाराम मीणा निवासी कांवाखेडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
8. छगन लाल पुत्र रामा भील निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 2438/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2018

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8 TA /346/2018 महादेव बनाम जमना

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/346/2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्की जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 17.09.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री रामदयाल जाट प्रत्थर्थी संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री राजेश मेहता एवं राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 17.09..2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :—

**अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2018 को यथावत रखा जाता है।**

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 17.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

17/9/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

**अपील के खर्चे**

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस